

संस्थान,
राजिब प्रौद्योगिकी शिक्षा परिसर,
उत्तर प्रदेश राजपुर।

संख्या- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संलग्नक दिनांक: 09/08/2021

आवृत्तियाँ:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमैत्री काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु दिशेष्यकारी तकनीकी शिक्षण संसदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यसत्र में सम्बद्धता समिति को बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संसदों को सम्बद्धता पूर्व से सम्बद्धता संसदों को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रयोग क्षमता वृद्धि सहित अन्य गतों पर विचार कराते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अन्तर्गत से निम्न संसद को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	30	30
3	CIVIL ENGINEERING	60	60
4	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संसद ए0आई0सी0टी0ई0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विनियम नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मुक्त जैन वर्षीय इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹०-30150,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पारमैत्री पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पारमैत्री पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500,000/- प्रतिवर्ष मुक्त ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से मुक्त के अलावा वे छात्र-छात्रा पर सामान द्वारा निर्मित किये जाने वाले सामग्री/सहायक सामग्री होंगे, और अनुसंधान कार्यवाही किया जाए आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का कुशलनिर्धारण किया जाता है, जो प्रवेश की परीक्षाओं पर लागू होगी।
- ✓ सत्र को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा समिति/सत्र उत्तर प्रदेश, संसदों को सम्बद्ध किया जाय। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संसद में अनुसंधान प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।


Principal
 BGG Polytechnic Institute
 Rampur, Rampur, Uttar Pradesh, U.P.
 College Code-4442

- ✓ संसद को समय-समय पर निर्दिष्ट वास्तुकार्य के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता युक्त जमा करना होगा।
- ✓ संसद को 20-04-2021 से आरम्भ का हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कबले गये विधिविधायक-अधिनियम-वास्तुकार्य-निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा कबले गये निर्देशों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विधायक इन कार्यों की पारदर्शकता को संरक्षित करि वे सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करते में अक्षरगत सही हे तो इस संबंध में संसद उपरोक्तित संसद का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संसद सभे उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बंध बाधक किया जाना हे इस बाधक बंध के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्दिष्ट किया जाना हे तो संसद प्रतिक्रिया संबंधित संसद को करनी होगी।
- ✓ विधायक इन कार्यों की पारदर्शकता संरक्षित करने वाली संसदों को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेक्षित प्रदेश परीक्षा हेतु कार्यनिर्दिष्ट प्रारंभ होने के पूर्व 20-04-2021 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अर्थात् उन्हें प्रदेश की (कार्यनिर्दिष्ट) के माध्यम से अर्थात् संसद सभे पर सही प्रकार अनुमोदन नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आदेशन निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट पर संसद की समस्त सूचनाएं जैसे संसद की ऐतिहासिक पूरी भूमि, बटन, साधन-सामान, उपकरण, प्रेष किया जाने वाला युक्त, साक्षात्कार युक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संसद को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपर्युक्त साक्षात्कार उपलब्ध करने के साथ वैश्वी संसदों के सम्बंध में संसद आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संसद यह सुनिश्चित हो ले कि संसद में प्रत्येकित संबंधित पारदर्शकता को बनाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अधिनियम, भूमि-भवन, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य पारदर्शकता के संवादन में प्रयोग किया जाना हे और परिषद को इसकी जानकारी होगी हे कि संसद उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही हे तो संसद संसद की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संसद के कर्तव्य निरीक्षण टोला यदि संसद में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सामान 20-04-2021 से आरम्भ का हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के माध्यम से उपलब्ध नहीं बनाया जाता हे तो संसद की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सही का अनुपालन न किये जाने अर्थात् सही का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालन आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

सूचना- प्राथमिकशिक्षा सम्बद्धता/2021/2518-4009

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिकशिक्षा B.R. GAUTAM POLYTECHNIC RAJAPUR, RAMPUR, JAUNPUR.


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव


B.R. Gautam Polytechnic
Rajapur, Rampur, Jaunpur, U.P.
Contact: 0522-224444

उपचार:

सवित्र. प्रविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या - प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संलग्नक दिनांक: 30/08/2022

-कार्यालय, उत्तर:-

अखिल भारतीय छात्रों की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय अखिल इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सेंटिक सं 2022-23 हेतु विदेशी छात्रों को प्रविधिक शिक्षा संस्थानों को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरांत प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार में सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक कायम हुई। बैठक में समिति द्वारा सं 2022-23 हेतु अर्जित नई संस्थानों को सम्बद्धता पूर्ण से सत्यापित संस्थानों को सम्बद्धता विचार प्रदान करने पर संसद की बैठक में प्रस्ताव पेश किया गया।


सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक से विवेक के अनुसार नई संस्थानों को प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सं 2022-23 हेतु प्रविधिक शिक्षा के अखिल प्रदान करने एवं उत्तरों अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4842-B.R. GAUTAM POLYTECHNIC

क्र.सं.	पठ्यक्रम का नाम	ए0आर0बी0टी0ई0पी0टी0आई0 द्वारा सं 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	0	0

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आर0बी0टी0ई0पी0टी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद सं 1992 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्यात आयोगों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित सुलभ तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु सं 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कॉलेजी पाठ्यक्रम हेतु सं 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक साल दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कॉलेजी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु सं 22500.00/- प्रतिवर्ष सुलभ ही प्रवेश शुल्क/छात्रों से वसूल किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से सुलभ के समर्थन में समय-समय पर राशन द्वारा निर्यात किए जाने वाले छात्र/छात्राओं को प्रभावी होगा, और अनुसूचित वर्गों/वर्गों के छात्रों को आरक्षण होगा। प्रवेश निर्देशन समिति द्वारा सं 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्विचार किया जाता है, जो प्रवेश की आवश्यकता देते लागू होंगे।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्यात आयोगों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुलभ जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्यात विनियमवली/अतिरिक्त/नवीन/आर0बी0टी0ई0पी0टी0आई0 एवं निर्देशन, प्रविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार गरीब छात्रों/छात्राओं के अर्थों एवं निर्देशनों का पालन करने के लिये आवश्यकता है।


B.R. Gautam Institute
Sector-11, Gurgaon, Haryana, U.R.
College Code 4842

यदि संसद का १०-अर्द्ध-सत्र (१०-अर्द्ध-सत्र) से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संसद का होगा और विधिक सच से किसी भी कार्यवाही के लिए संसद सच उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद, प्रविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश संसद के विरुद्ध यदि कोई कदम चलाया जाता है तथा चारों ओर के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संसद को कारणी होगी।

संसद को संयुक्त प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश सचनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व १०-अर्द्ध-सत्र (१०-अर्द्ध-सत्र) से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उक्त प्रदेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रदेश प्रौद्योगिकी के अधिन यशस्वी प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

संसद को अपने वेबसाइट पर संसद की समस्त सूचनाएँ जैसे संसद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सच-सच, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त, सरलवास्तु मुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

संसद को विधान-प्रविधिक हेतु उपयुक्त बजटसम उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

संसद यह सुनिश्चित हो से कि संसद में प्रस्तावित संबन्धित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संसद उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संसद की सम्बन्धित समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

संसद के अतिरिक्त राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संसद में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सच-सच १०-अर्द्ध-सत्र (१०-अर्द्ध-सत्र) के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संसद की सम्बन्धित समाप्त कर दी जायेगी।

सम्बन्धित सचों का अनुपालन न किये जाने अथवा सचों का उल्लंघन किये जाने की विधि में निम्नानुसार अनुसूचनाओं का कार्यवाही की जायेगी।


(एच०आर० खान)

सचिव

पुं०-०. प्रविधिकपरिषद सम्बद्धता/२०२२/७६१८-६४५५

दिनांक: ३०/०८/२०२२

प्रविधिक-

प्रधानाचार्य/निदेशक B.R. GAUTAM POLYTECHNIC


(एच०आर० खान)

सचिव


B.R. Gautam Institute
Gautam Polytechnic, U.P.
Gautam, Lucknow-226012

परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बताने वाले विषयों, विनियमों, अधिसूचियों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यकारी है।

- ✓ यदि संसदन का अखिल भारतीय स्तर-स्तरीय शिक्षा परिषद/कार्यकारी कार्यपालिका और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्तित संसद का होना और प्रिविज अन्य के किसी भी कार्यकारी के लिए संसद एवं उपरोक्तित होनी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, अनुसूक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा शिक्षण उत्तर प्रदेश संसदन के विरुद्ध यदि कोई कार्य उपर किया जाता है तथा दायर कर के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रिविजुली संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रिविजुली संबंधित संसद को करनी होगी।
- ✓ संसदों को अनुसूक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संसदन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रदेश परीक्षा हेतु कार्यपालिका प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय स्तर-स्तरीय शिक्षा परिषद/कार्यकारी कार्यपालिका और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यपालिका को उपयुक्त बताना होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की अनुमोदित प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु समय-समय पर निर्गत अधिसूचना अधिसूचना नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संसद की समस्त सूचनाएं जैसे संसद की विधिकीय सुविधा भूमि, सार्व, सार्व-सम्पत्ति, उपकरण, प्रान्त किया जाने वाला सुनक, छात्रवृत्त सुनक आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संसद को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु अनुसूक्त छात्रवृत्त उपलब्ध करने के साथ रेगुलर सेकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक बताना सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संसद यह सुनिश्चित हो ले कि संसद में प्रत्येक वर्ष-वर्षीय छात्रवृत्त को बताने वाले हेतु निदेशालय समिति के संबंध उपलब्ध करने को अनिवार्य, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य छात्रवृत्त के संसदन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संसद उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संसद संसद की सम्बद्धता समस्त किये जाने की कार्यकारी की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समिति) और उपसमिति, संसदों का सम्बद्ध किया जाता। विनियमकारी, 2000 के प्राविधिक/परिषद परिषद की मांग पर अपने कार्यकारी, भवन और फर्नीचर को परिषद को परीक्षा के संसदन के लिए परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संसद के अधिक स्तरीय निर्देशन के दौरान यदि संसद में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार्व-सम्पत्ति ए०आई०आई०परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संसद की सम्बद्धता समस्त कर ही करनी।
- ✓ सम्बद्धता कार्यों का अनुपालन न किये जाने अथवा कार्यों का उपलब्ध किये जाने को निर्दिष्ट में निषेधनुसार अनुसूक्त/सम्पत्ति कार्यकारी की जायेगी।

(अनीत कुमार मिश्र)

सचिव

पृ०सं०- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, B.R. GAUTAM POLYTECHNIC

DR. Praveen Institute
Bareilly Campus, Bareilly, U.P.
College Code-442

(अनीत कुमार मिश्र)

सचिव